न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 38 / 2025

श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा निवासी डोला का खोडा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0। --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 26.06.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. आपके कार्यालय के आदेश क्रमांक / राजस्व/2025/167 दिनांक 21.01.2025 की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
2. आदेश क्रमांक / राजस्व/2025/167 दिनांक 21.01.2025 की पालना के सम्बन्ध में की गई कारवाही / प्राप्त रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
3. सम्वत 2056 ढोला का खेडा, तह. मालपुरा के खसरा No. 109, 1135/4, 1233/5, 1237/2, 1296, 1297, 201/1393, 384,414, 710, 712, 723 का मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी, पर्चा खतौनी, पर्चा लगान, राजस्व नामांतकरण की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
4. ढोला का खेडा, के खसरा No. 1239, 1240, 1196 अतिक्रमण के सम्बंद में जारी समस्त नोटिस व् पेनल्टी रसीदों की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को पत्र कमांक 710 दिनांक 02.05.2025, 837 दिनांक 15.05.2025 व 921 दिनांक 28.05.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा ने पत्र कमांक 3059 दिनांक 28.05.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके पत्र कमांक 2030 दिनांक 25.03.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक